

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred on me under Section 217, 115, 116 & 117 of Motor Vehicle Act. 1988 and after consulting the Diu Police & local Authority, **I, Harminder Singh, I/c.** District Magistrate & I/c. Collector, Diu, hereby notify the following routes & places as **One Way Roads, Restricted Zone for Entry of Vehicle, No Parking and Parking Zone**, as under:

- (a) Restrict traffic on roads mentioned in Col. No. 2 of SCHEDULE-I
- (b) Parking Zone at Places mentioned in Col. No. 2 of SCHEDULE-II
- (c) No Parking at Places mentioned in Col. No. 2 of SCHEDULE-III
- (d) Dropping & Pick-up point for Heavy Vehicle & Bus at Places mentioned in Col. No. 2 of SCHEDULE-IV as mentioned below: -

SCHEDULE-I

(One Way Road and No Entry Road)

Sr. No.	Place	Zone
1	2	3
1.	Main Road starting from Jethibai Circle up to PWD Office, Diu	ONE WAY ROAD (No parking, No Halting of vehicle will be allowed on either side, vehicular traffic allowed from west to East & Heavy Vehicle not allowed) 29.12.2019 to 30.12.2019 - 9 am to 10 pm 31.12.2019 - 9 am to 4 pm of 01.01.2020
2.	Road Starting from shop of Umarbhai, Honest Provision Store main Bazar char Rasta to old fish market, Diu	NO ENTRY FOR FOUR WHEELER & No Parking Zone (No parking, No Halting of vehicle will be allowed on either side) 29.12.2019 to 30.12.2019 - 9 am to 10 pm 31.12.2019 - 9 am to 4 pm of 01.01.2020

SCHEDULE-II

(Parking Zones)

Sr. No.	Place	Zone
1	2	3
1.	Open Space in back side of Bhuteshwer vyayam shala , Ghoghla	PARKING ZONE-1 (All Vehicle)
2.	Open Space between CHC, Ghoghla & community Hall	PARKING ZONE-2 (All Vehicle)
3.	Open Space along sea shell museum opposite Pothiyadada Temple Gate	PARKING ZONE-3
4.	Open space at Festa-De-Diu, Nagoa	PARKING ZONE-4
5.	Open Space Near Fort Diu	PARKING ZONE-5

ms

SCHEDULE-III

(No Parking, No Halting Zones)

Sr. No.	Place	Zone
1	2	3
1.	Main Road starting from Check Post, Ghoghla-Bus Stand, ghoghla- CHC, Ghoghla- Jethibai Bus Stand, Diu- Malala Circle- Nagoa- Vanakbara	No Parking, No Halting of Vehicle allowed on either side of Road
2.	Side Road Starting From Hotel Rasal, Nagoa to Festa-De-Diu Site, Nagoa	No Parking, No Halting of Vehicle allowed on either side of Road
3.	Main Road Starting from Malala Circle- Bucharwada- Vanakbara	No Parking, No Halting of Vehicle allowed on either side of Road

SCHEDULE-IV

(Drop & Pick-Up Zone for Buses)

Sr. No.	Place	Zone
1	2	3
1.	Open Space near Old Government Hospital, Diu	Dropping/Pick-up Zone (All Heavy Bus)

Further, in exercise of powers conferred under Section 116 of Motor Vehicle Act, I hereby authorize the Executive Engineer, PWD, Diu for Erection of Traffic Sign Board mentioned above for the purpose of regulating Motor Vehicle Traffic.

In case of violation of above, violating vehicles will be impounded and shall be released on payment of prescribed penalty.

This Notification shall come into force from 09.00 a.m. on 29/12/2019 and will in force till 04.00 pm hours of 01/01/2020.

ms
28/12/19

(HARMINDER SINGH)

**I/c. COLLECTOR & I/c. DISTRICT MAGISTRATE,
DIU.**

To,

1. The Dy. Superintendent Of Police, Diu
2. The Deputy Director Transport, Diu
3. The Executive Engineer, PWD, Diu
4. All Executive Magistrates, Diu
5. Assistant Motor Vehicle Inspector, Diu
6. The S.H.O., Police Department, Diu
7. Field Publicity Officer, Diu
8. DIO, N.I.C.....for upload the same on website
9. The Dy. Director (Tourism) Dir for Information of all Hoteliers of Diu District, with a request to inform all Hoteliers to put a Notice of this effect at reception of Hotels for information of all Hotels Guests and tourist.

अधिसूचना

मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 217,115,116 एवं 117 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, हरमिंदर सिंह, प्रभारी समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव एतद्वारा निम्नलिखित मार्गों एवं स्थलों को **इकतरफा मार्ग (one way road)**, वाहनों के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र, नो पार्किंग एवं पार्किंग के लिए निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

(क) सारणी -1 के स्तंभ 2 में उल्लेख के अनुसार सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित स्थल

(ख) सारणी -2 के स्तंभ 2 में उल्लेख के अनुसार पार्किंग स्थल

(ग) सारणी -3 के स्तंभ 2 में उल्लेख के अनुसार पार्किंग निषेध क्षेत्र

(घ) नीचे उल्लेख के अनुसार सारणी -4 के स्तंभ 2 में उल्लेख के अनुसार स्थलों पर भारी वाहनों एवं बसों के लिए उतारने और बैठाने का स्थल

सारणी -1

(इकतरफा सड़क और प्रवेश निषेध स्थल)

क्र.सं.	स्थल	क्षेत्र
1	2	3
1	जेठीबाई सर्कल से लोक निर्माण विभाग, दीव तक की मुख्य सड़क	एक तरफा सड़क (सड़क के दोनों तरफ वाहनों को खड़ा करने या वाहनों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी, यात्रियों वाली वाहनों को पश्चिम से पूर्व तक जाने की अनुमति होगी जबकि भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी 29/12/2019 से 30/12/2019 तक सुबह 09:00 बजे से रात 10 बजे तक 31/12/2019 से 01/01/2020 तक सुबह 09:00 बजे से सायं 04 बजे तक
2	उमरभाई की दुकान से शुरू होनेवाली सड़क से ऑनेस्ट प्रोविजन स्टोर, मुख्य बाजार रोड से पुरानी मछली बाजार, दीव तक की सड़क	चार पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध एवं पार्किंग निषेध क्षेत्र सड़क की दोनों तरफ वाहन पार्क करना एवं हाल्ट करना वर्जित है 29/12/2019 से 30/12/2019 तक सुबह 09:00 बजे से रात 10 बजे तक 31/12/2019 से 01/01/2020 तक सुबह 09:00 बजे से सायं 04 बजे तक

सारणी -2

(पार्किंग क्षेत्र)

क्र.सं.	स्थल	क्षेत्र
1	2	3
1	भुतेश्वर व्यायामशाला, घोघला के पीछे वाली खाली जगह पर	पार्किंग क्षेत्र -1, (सभी प्रकार के वाहनों के लिए)
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोघला एवं सामुदायिक भवन के बीच की खाली जगह पर	पार्किंग क्षेत्र -2 , (सभी प्रकार के वाहन के लिए)
3	पोठियादादा मंदिर गेट के सामने सी शेल म्यूजियम के बगल वाली खाली जगह पर	पार्किंग क्षेत्र -3,
4	फेस्टा-डे-दीव, नागवा के पास वाली खाली जगह पर	पार्किंग क्षेत्र -4
5	निर्मलामाता हाई स्कूल, दीव के पीछे वाली खाली जगह पर	पार्किंग क्षेत्र -5
6	दीव किला के पास वाली खाली जगह पर	पार्किंग क्षेत्र -6

सारणी -3

(पार्किंग एवं ठहराव निषेध क्षेत्र / नो पार्किंग और नो हाल्टिंग क्षेत्र)

क्र.सं.	स्थल	क्षेत्र
1	2	3
1	चेक पोस्ट, घोघला से बस स्टैंड -घोघला, सीएससी-घोघला, जेठीबाई बस स्टैंड-दीव, मलाला सर्किल- नागवा- वणांकबारा तक की मुख्य सड़क	सड़क की दोनों तरफ वाहनों को पार्क करने या वाहनों के ठहराव की अनुमति नहीं होगी
2	होटल रसाल-नागवा से फेस्टा -डे-दीव तक की साईड रोड	सड़क की दोनों तरफ वाहनों को पार्क करने या वाहनों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी
3	मलाला सर्किल से बुचरवाड़ा होते हुए वणांकबारा तक की मुख्य सड़क	सड़क की दोनों तरफ वाहनों को खड़ा करने या वाहनों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी

सारणी -4

(बसों के लिए यात्रियों को उतारने और चढ़ाने हेतु स्थल)

क्र.सं.	स्थल	क्षेत्र
1	2	3
1	पुराने सरकारी अस्पताल, दीव के पास की खाली जगह	सभी भारी बसों को यात्रियों को उतारने और चढ़ाने की अनुमति होगी

पुनः मोटर वाहन अधिनियम की धारा 116 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दीव को मोटर वाहन यातायात नियंत्रण हेतु उपर्युक्त उल्लेखित साईन बोर्ड लगाने के लिए प्राधिकृत करता हूँ ।

उपर्युक्त का उल्लंघन करने के मामले में उल्लंघन करनेवाले वाहनों को जब्त किया जायेगा और जुर्माने की राशि का भुगतान करने पर ही वाहनों को छोड़ा जाएगा

यह अधिसूचना 29/12/2019 को सुबह 09:00 बजे से दिनांक 01/01/2020 को अपराह्न 04:00 बजे तक प्रभावी रहेगा ।

हस्ताक्षरित

(हरमिंदर सिंह),

प्रभारी समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव

सेवा में ,

1. पुलिस उपाधीक्षक, दीव
2. परिवहन उप निदेशक, दीव
3. कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दीव
4. सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीव
5. सहायक मोटर वाहन निरीक्षक, दीव
6. स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस विभाग, दीव
7. क्षेत्रीय प्रचार एवं प्रसार अधिकारी, दीव
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, दीव
9. उन निदेशक (पर्यटन), दीव को दीव जिला के सभी होटल मालिकों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने-अपने होटल में रिस्पेशन केन्द्र पर इससे संबंधित सूचना लगाये जिससे कि पर्यटकों और होटल में ठहरने वाले को इसकी जानकारी मिल सके